



**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस**

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **“जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है”** एवं **“दायित्व रहित”** के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

क्र.मां.क	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार एवं संबंधित शाखा	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य	
				अग्रिम धरोहर जमा राशि	बिड वृद्धि राशि
1.	मे. वैभव शोरूम पाटन श्री रोहित सिंघई पिता श्री धन्य कुमार जैन (प्रोप.) (उधारकर्ता) श्रीमति वर्षा सिंघई पति श्री वैभव सिंघई (जमानतदार /संपत्ति बंधककर्ता) <b>संबंधित शाखा:</b> पाटन	रु 15,02,971/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	मौजा पाटन, प.ह.नं. 24/ 56 रा.नि.मं. पाटन, विकासखंड पाटन, तहसील पाटन जिला जबलपुर वार्ड क्र 6 राम मनोहर लोहिया वार्ड, पाटन- सुरैया मार्ग, खसरा नं. 756/1 क्षेत्रफल 2109 वर्गफुट संपत्ति स्वामी: श्रीमति वर्षा सिंघई पति श्री वैभव सिंघई (संपत्ति बंधककर्ता) चतु:सीमा :उत्तर-15 फीट प्रस्तावित रास्ता,पूर्व- शिरोमणि का मकान,दक्षिण - राजौरिया का मकान,पश्चिम- झारिया का मकान,प्रलक्षित कब्जा	रु	28,97,000
				रु	2,89,700
				रु	10,000
2.	1. श्री अमरदेव यादव पिता श्री रामाधर यादव 2. श्रीमति शिखा यादव पति श्री अमरदेव यादव <b>संबंधित शाखा:</b> तिलवारा घाट	रु 11,99,805/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	मौजा सगडा, न.ब. 421, प.ह.नं. 33, रा.नि.मं. जबलपुर-1, खसरा नं. 108/4 का भाग, प्राइवेट प्लॉट नं. 58 का भाग- विक्रय रकबा 20 फुट बाई 40 फुट = 800 वर्गफुट, सगडा मुख्य मार्ग से अंदर त्रिपुरी वार्ड, विकास खंड व तहसील व जिला जबलपुर, संपत्ति स्वामी: श्री अमरदेव यादव पिता श्री रामाधर यादव (संपत्ति बंधककर्ता) उत्तर- साइड रोड, दक्षिण-शरद चौहान की जमीन, पूर्व-प्लॉट नं. 58 का शेष भाग, पश्चिम- प्लॉट नं. 57, प्रलक्षित कब्जा	रु	24,50,000
				रु	2,45,000
				रु	10,000
3.	श्री राम डेयरी फार्म श्री रामकृष्ण उरमलिया पिता स्व. श्री द्वारका प्रसाद <b>संबंधित शाखा:</b> गोकलपुर	रु 2,67,89,479/- + ब्याज + विधिक व्यय	मौजा खेरी, न.ब. 570, प.ह.नं: 17, खसरा नं. 113/1 (पुराना)- 17/2 (नया), रा.नि.म. महाराजपुर, तहसील व जिला जबलपुर डायवर्टेड क्षेत्रफल 27964 वर्गफुट संपत्ति स्वामी: श्री रामकृष्ण उरमलिया पिता स्व. श्री द्वारका प्रसाद, उत्तर-20 फुट रोड, दक्षिण- रवि पटेल, पूर्व- विक्रेता, पश्चिम- अवस्थी जी की जमीन, <b>भौतिक कब्जा</b>	रु	1,36,00,000
				रु	13,60,000
				रु	50,000
4.	श्री राजू खान पिता श्री मोहम्मद इब्राहिम खान (उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) श्रीमती अफशां अंजुम पत्नी श्री राजू खान (उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) श्री सुरेन्द्र कुमार राठौर पिता श्री गौरी शंकर (गारंटीदाता) <b>संबंधित शाखा:</b> विजय नगर	रु. 41,64,163/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	डुप्लेक्स मौजा बैतला, न.ब. 52, प.ह.नं. 22/25 – नया 01, रा.नि.मं. जबलपुर-1, डायवर्टेड भूमि खसरा नं. 88/1/क का कुल रकबा 2976.56 वर्गफुट (276.63 वर्गमीटर) में से विक्रय प्लॉट नं. 03 का कुल रकबा 18X 65.5 = 1180 वर्गफुट (109.66 वर्गमीटर), चित्तरेजन दास वार्ड, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र) संपत्ति स्वामी: श्री राजू खान पिता श्री मोहम्मद इब्राहिम खान एवं श्रीमती अफशां अंजुम पत्नी श्री राजू खान, उत्तर- विक्रेता की संपत्ति, दक्षिण- विक्रेता की संपत्ति, पूर्व- 20 फीट साइड रोड, पश्चिम- शैल कुमार दुबे, प्रलक्षित कब्जा	रु	37,40,000
				रु	3,74,000
				रु	20000
5.	मे. साई क्रिएशन (प्रोप. श्री आशीष कुशवाहा पिता श्री साधुराम कुशवाहा) श्री सचिन राठौर पिता श्री दालचंद राठौर (गारंटीदाता) श्री संजय राठौर पिता श्री दालचंद राठौर (गारंटीदाता) <b>संबंधित शाखा:</b> विजय नगर	रु 21,68,925/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	नजूल परमानेंट लीज ब्लॉक नं. 106, पार्ट प्लॉट नं. 203/2 का भाग विक्रय प्लॉट एरिया 538 वर्गफुट नगर निगम मकान नं. 669 नया- 492 पुराना, लोकमान्य तिलक वार्ड क्र 15, जुड़ी तलैया, जबलपुर (म.प्र) संपत्ति/ भवन स्वामी: श्री सचिन राठौर पिता श्री दालचंद राठौर (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता) उत्तर- श्रीमति शकुंतला एवं रत्ना राठौर का मकान, दक्षिण- विक्रेता की संपत्ति, पूर्व- रास्ता, पश्चिम- राजकुमारी राठौर का मकान, प्रलक्षित कब्जा	रु	18,43,000
				रु	1,84,300
				रु	10,000
6.	मे. प्रसुक किड्सवियर (प्रोप. श्री प्रशांत कुमार जैन पुत्र श्री प्रभात जैन) श्रीमति संध्या जैन पत्नी श्री प्रभात कुमार जैन (गारंटीदाता) <b>संबंधित शाखा:</b> नेपियर टाउन	रु 14,82,039/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	परमानेंट ब्लॉक नं. 105, प्लॉट नं. 78 का हिस्सा आफ्टर म्यूटेशन 78/1, मकान क्र 368 का हिस्सा (नया 443), खटीक मोहल्ला, सराफा वार्ड, जबलपुर (म.प्र) एरिया 407 वर्गफुट संपत्ति/ भवन स्वामी: श्रीमति संध्या जैन पत्नी श्री प्रशांत कुमार जैन चतु:सीमा : उत्तर-मकान श्री बाबूलाल जैन, पूर्व- मकान श्रीमति शकुंतला जैन, दक्षिण - कॉमन पेसेज,पश्चिम -मकान श्रीमति सुगंधी बाई जैन व श्रीमति सुलोचना बाई जैन, प्रलक्षित कब्जा	रु	16,12,000
				रु	1,61,200
				रु	10,000
7.	मोहम्मद इश्तयाक पुत्र श्री मोहम्मद इशाक (उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) <b>संबंधित शाखा:</b> नेपियर टाउन	रु 36,00,757/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	मौजा खजरी, न.ब- 569, प.ह.नं- 24/81, रा.नि.मं: महाराजपुर, विकास खंड: पनागर जिला : जबलपुर स्थित डायवर्सन खसरा नं. 307/5, रकबा 3498 वर्गफुट में से विक्रय रकबा 2006 वर्गफुट संपत्ति/ भवन स्वामी: मोहम्मद इश्तयाक पुत्र श्री मोहम्मद इशाक उत्तर- 20 फुट साइड रोड, दक्षिण- एडवोकेट शाह की संपत्ति, पूर्व- 25 फुट साइड रोड, पश्चिम- विक्रेता की संपत्ति, प्रलक्षित कब्जा	रु	16,23,000
				रु	1,62,300
				रु	10,000
8.	मे. नरेश होटल - श्री नरेश श्रीवास पिता श्री गया प्रसाद (प्रोप.) (उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता)	रु 4,14,888/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	दुकान नं. 41, विजय नगर हाट बाजार, महाराजा अग्रसेन वार्ड, जे.डी.ए स्कीम नं. 5, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) क्षेत्रफल – 8 X 10 = 80 वर्गफुट संपत्ति स्वामी: श्री नरेश श्रीवास पिता श्री गया प्रसाद	रु	3,20,000

	संबंधित शाखा: धोबीघाट		उत्तर-दुकान नं. 42, पूर्व -दुकान नं. 56,दक्षिण -खुला एरिया, पश्चिम -रोड, प्रलक्षित कब्जा	रु 32,000 रु 10,000
9.	श्री विजय थदानी पिता श्री मिठाई राम थदानी (उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) संबंधित शाखा: जी. सी. एफ़.	रु 22,49,335/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	ग्राम बैतला, न.बं.-52, प.ह.नं. 01/25, खसरा नं. 125/1/क, पुष्पक नगर कॉलोनी, महर्षि महेश योगी वार्ड, तहसील व जिला जबलपुर प्लॉट रकबा – 30 X 50 = 1500 वर्गफुट एवं उस पर निर्मित भवन संपत्ति स्वामी/ बंधककर्ता: श्री विजय थदानी पिता श्री मिठाई राम थदानी, चतु:सीमा: उत्तर-साइड रोड, पूर्व -राजेंद्र चौधरी की संपत्ति , दक्षिण-परमानंद प्रजापति की संपत्ति, पश्चिम -सुशील शर्मा की संपत्ति , प्रलक्षित कब्जा	रु 31,88,000 रु 3,18,800 रु 20,000
10.	श्री अनवरुद्दीन पिता श्री महमूद अहमद (उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) संबंधित शाखा: जी. सी. एफ़.	रु 14,36,175/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	मौजा ग्राम गुरदा, न.बं.-600, प.ह.नं. 24 (पुराना) 81 (नया), नया वार्ड क्र 74, खसरा नं. 81 का भाग मे से यूनिट नं. ए-2 का रकबा 15 X 50 = 750 वर्गफुट, रा.नि.मं. महाराजपुर, विकास खंड पनागर, जिला जबलपुर , संपत्ति स्वामी/ बंधककर्ता: श्री अनवरुद्दीन पिता श्री महमूद अहमद , चतु:सीमा: उत्तर-विक्रेता की संपत्ति, पूर्व -यूनिट नं. ए-1,दक्षिण-20 फुट साइड रोड,पश्चिम- यूनिट नं. ए-3, प्रलक्षित कब्जा	रु 14,55,000 रु 1,45,500 रु 10,000
11.	श्री अहफाज अहमद पिता श्री एजाज अहमद (उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) संबंधित शाखा: एम. आई. सी. आई.	रु 17,49,222/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	मौजा गढ़ा, नं.बं. 599, प ह नं. 33, रा.नि. मं. जबलपुर-1, पटवारी व डायवर्सन खसरा नं. 301/6, 302/5, 303/5, 304/5, 305/6, 306/5, 307/5, 308/6, 309/6, 310/6 का कुल प्लॉट एरिया 3488 वर्गफुट मे से विक्रय डुप्लेक्स क्र 'डी' का क्षेत्रफल 750 वर्गफुट, गढ़ा वार्ड मे चन्दन कॉलोनी मे मुख्य मार्ग से अंदर, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) , चतु:सीमा: उत्तर-सोनी जी का मकान ,पूर्व -विश्वकर्मा जी का मकान, दक्षिण -साइड रोड ,पश्चिम -डुप्लेक्स नं. 'सी', प्रलक्षित कब्जा	रु 21,07,000 रु 2,10,700 रु 10,000
12.	श्री अमित कुमार पटेल पिता श्री राज कुमार पटेल श्रीमति सोहाद्रा पटेल पति श्री अमित कुमार पटेल (उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) संबंधित शाखा: एम. आई. सी. आई.	रु 20,50,022/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	L.I.G-709, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड, मदर टेरेसा नगर, मौजा मढ़ोताल, दीन दयाल उपाध्याय वार्ड, जबलपुर (म.प्र) क्षेत्रफल-81.64 वर्ग मीटर (LIG 709) ,संपत्ति/ भवन स्वामी: श्री अमित कुमार पटेल पिता श्री राज कुमार पटेल श्रीमति सोहाद्रा पटेल पति श्री अमित कुमार पटेल चतु:सीमा: उत्तर-कॉलोनी रोड, पूर्व -कॉलोनी रोड, दक्षिण -Sr. LIG – 708,पश्चिम- Sr. LIG – 710 प्रलक्षित कब्जा	रु 15,72,500 रु 1,57,250 रु 10,000
			L.I.G- 710, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड, मदर टेरेसा नगर, मौजा मढ़ोताल, दीन दयाल उपाध्याय वार्ड, जबलपुर (म.प्र) क्षेत्रफल-78.30 वर्ग मीटर (LIG 710) , संपत्ति/ भवन स्वामी: श्री अमित कुमार पटेल पिता श्री राज कुमार पटेल श्रीमति सोहाद्रा पटेल पति श्री अमित कुमार पटेल चतु:सीमा: उत्तर-कॉलोनी रोड, पूर्व -Sr. LIG – 709,दक्षिण- Sr. LIG – 708,पश्चिम - Sr. LIG – 711, प्रलक्षित कब्जा	रु 15,22,500 रु 1,52,250 रु 10,000
13.	मो. इरफान पिता श्री मो. सुलमान (उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) संबंधित शाखा :एम. आई. सी. आई.	रु 16,51,834/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधक भूमि एवं भवन: मौजा गढ़ा, नं.बं. 599, प.ह.नं. 33, पीसी 06, रा.नि.मं. जबलपुर-1, तहसील एवं जिला जबलपुर - पटवारी एवं डायवर्सन खसरा नं. 301/6, 302/5, 303/5, 304/5, 305/6, 307/5, 308/6, 309/6, 310/6 का कुल रकबा 3500 वर्गफुट मे से विक्रय डुप्लेक्स क्र. सी क्षेत्रफल 15X50 = कुल 750 वर्गफुट (69.70 वर्गमीटर) एवं उसपर निर्मित भवन संपत्ति/ भवन स्वामी: मो. इरफान पिता श्री मो. सुलमान चतु:सीमा:उत्तर-सोनी जी का मकान ,पूर्व -डुप्लेक्स नं. डी, दक्षिण -साइड रोड, पश्चिम -डुप्लेक्स नं. बी, प्रलक्षित कब्जा	रु 21,07,000 रु 2,10,700 रु 10,000
14.	श्री मोहन सिंह पिता श्री चम्मा सिंह (उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) श्रीमति रश्मि विश्वकर्मा पति श्री राजेश विश्वकर्मा (गारंटीदाता) श्री आशीष सिंह मरावी पिता श्री ज्ञान सिंह (गारंटीदाता) संबंधित शाखा :बिलहरी जबलपुर	रु 28,38,347/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधक भूमि एवं भवन: मौजा-घाना, खसरा नं. 86/1 (पुराना) का भाग नामांतरण उपरांत खसरा नं 86/35, प.ह.नं. 57 (पुराना) 14 (नया), नं.ब 634, प्लॉट नं. 86/35, तहसील – पनागर , जिला-जबलपुर (म.प्र.) क्षेत्रफल: 2400 वर्गफुट ( 40 फुट बाई 60 फुट) संपत्ति/ भवन स्वामी: श्री मोहन सिंह पिता श्री चम्मा सिंह चतु:सीमा: उत्तर-मुस्तर्री बानो का मकान एवं ओपन प्लॉट,पूर्व- खमरिया कर्मचारी प्लॉट,दक्षिण-साइड रोड कालोनी,पश्चिम-कुजूर का मकान ,प्रलक्षित कब्जा	रु 25,00,000 रु 2,50,000 रु 10,000

विक्रय के निबंधन और शर्तों के बारे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता मे. एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर उपलब्ध लिंक देखें। हेल्पलाइन नंबर 033-22901004 या क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर प्राधिकृत अधिकारी (मो. 8226014333 ) से संपर्क कर सकते है। ये संबन्धित ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन तीस (30) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांक: 17/01/2023  
स्थान: जबलपुर (म.प्र)

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया  
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

REGIONAL OFFICE - JABALPUR

चल/ अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस ई-नीलामी दि. 28.02.2023

विस्तृत नियम एवं शर्तें

ई-नीलामी तिथि एवं समय	ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय
28.02.2023	27.02.2023
समय: दोपहर 01.00 बजे से साँय 5.00 बजे तक	साँय 5.00 बजे तक

### नियम एवं शर्तें

- ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित" के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जाएगी।
- नीलामी बोली/ बिड ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया तहत वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली के अनुसार – दिनांक 28.02.2023 को (समय: 01.00 बजे से साँय 5.00 बजे तक) 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है।
- विस्तृत विवरण को डाउनलोड करने, प्रक्रिया का अनुपालन और नियम एवं शर्तों के लिए कृपया पोर्टल अ) <http://www.centralbankofindia.co.in> पर आएँ व ई-नीलामी के लिए हमारे सेवा प्रदाता का वेबसाइट पता <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> है।
- निविदाकर्ता <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर विजिट कर सकते हैं जहाँ निविदाकर्ता के लिए दिशा-निर्देश, शैक्षणिक वीडियो के साथ उपलब्ध हैं।  
निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा:  
प्रथम चरण : निविदाकर्ता/खरीददार का पंजीकरण : निविदाकर्ता को ई-नीलामी प्लेटफार्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर अपने मोबाइल नं. व ई-मेल पते के साथ पंजीकरण करना है।  
द्वितीय चरण : केवाईसी जांच के लिए निविदाकर्ता को निर्धारित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना है। केवाईसी दस्तावेजों की जांच ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी (जिसमें 2 कार्य दिवसों का समय लग सकता है)।  
तृतीय चरण : निविदाकर्ता की ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) धनराशि को ग्लोबल ईमडी वालेट में अंतरित करना – ई-नीलामी प्लेटफार्म पर आन लाइन/आफ लाइन फण्ड का अंतरण एनइएफटी (NEFT)/ चलान आधारित अंतरण किया जाता है।  
चतुर्थ चरण : बोली लगाने की प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत निविदाकर्ता प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरणों को पूरा करने के पश्चात ई-नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।  
कृपया नोट करें कि इच्छुक निविदाकर्ता को प्रथम चरण से तृतीय चरण की प्रक्रिया तक, नीलामी तिथि से पहले अग्रिम रूप से पूरा करना है।
- ई-नीलामी प्लेटफार्म (<https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp>) पर ई-नीलामी सेवाएं हमारे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता- एमएसटीसी लि. द्वारा प्रदान की जाती हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय 225-सी, ए.जी.सी. बोस रोड, कोलकाता- 700020 में है। इच्छुक निविदाकर्ताओं/खरीददारों को इ-नीलामी प्रक्रियाओं हेतु ई-नीलामी सेवा प्रदाता के वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> पर सहभागिता की जरूरत है। ई-नीलामी पोर्टल पर सेवा प्रदाता कम्पनी ई-नीलामी के लिए आन-लाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तें बैंक की वेबसाइट <http://www.centralbankofindia.co.in>, <http://www.ibapi.in> और <https://www.mstcecommerce.com> पर उपलब्ध हैं।

ई-नीलामी के परिचालन के लिए सहायता मैनुअल इस ई-नीलामी का e-ब्रक्य आईबीएपीआई के पोर्टल (<http://www.ibapi.in>) पर उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी विक्रय नोटिस, ई नीलामी के नियम एवं शर्तें, विक्रय नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी का सहायता मैनुअल, मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इच्छुक निविदाकर्ता, जिन्हें आन-लाइन आई डी और पासवर्ड सृजित करने, डाटा अद्यतन करने, बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रशिक्षण में सहायता की आवश्यकता है, वे वेबसाइट [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर या उनके केंद्रीय हेल्प डेस्क नं. 033-22901004 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

6. इच्छुक निविदाकर्ता/खरीददार को नीलामी समय से पहले अपनी ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) अग्रिम रूप से ग्लोबल ईएमडी वालेट में अंतरित करना है। अगर ईएमडी धनराशि, ईएमडी वालेट में उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम निविदा की अनुमति नहीं देगा। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जांच और ईएमडी का वालेट में अंतरण अग्रिम रूप से नीलामी से पूर्व (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व) पूरा होना चाहिए। निविदाकर्ता या तो एक या सभी सम्पत्तियों का प्रस्ताव दे सकते हैं। ई-नीलामी की तिथि पर वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने पर ही इच्छुक निविदाकर्ता पात्र होंगे। बोली लगाने के समय, निविदाकर्ता की वालेट में पर्याप्त ईएमडी होनी चाहिए (EMD)। अगर निविदाकर्ता एक से अधिक सम्पत्तियों के लिए प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना होगा।
7. ऊपर बताई गई अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान आन-लाइन अर्थात नेफ्ट (NEFT) /अंतरण (चालान फार्म तैयार करने के पश्चात (<https://www.mstcecommerce.com>) निविदाकर्ता के ग्लोबल ईएमडी वालेट में किया जाएगा। नेफ्ट अंतरण किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। ईएमडी का भुगतान अन्य किसी तरीके जैसे चेक/मांग ड्राफ्ट से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ता जो अपनी ईएमडी वालेट में मांगी गई, ईएमडी जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और असफल निविदाकर्ताओं को बिना ब्याज के ईएमडी वापस की जाएगी।
8. ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय **दिनांक 27.02.2023 साँय 5.00 बजे तक**।
9. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धृत की गई बोली अस्वीकार की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में संबन्धित संपत्ति के सामने उद्धृत "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है। अगर कोई निविदा अंतिम 10 मिनट में प्राप्त होती है, तो उसे 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। 10 मिनट का समय सफल ऊंची बोली लगाने के लिए दिया जाएगा, अगर निविदाकर्ताओं द्वारा कोई ऊंची बोली नहीं लगाई जाती है, तो 10 मिनट की समाप्ति पर सबसे ऊंची बोली पर ई-नीलामी बंद की जाएगी।
10. प्राधिकृत अधिकारी को अपनी सम्पूर्ण जानकारी और ज्ञान के आधार पर सम्पत्ति पर किसी भी भार की जानकारी नहीं है। तथापि, इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति पर भार, सम्पत्ति पर हकों, दावों /अधिकारों/ देयताएं जो सम्पत्ति को प्रभावित करती हैं, की जांच अपने स्वतंत्र सूत्रों से करनी चाहिए। ई-नीलामी का विज्ञापन, बैंक का कोई भी प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही निर्मित कराता प्रतीत होगा। सम्पत्ति की बिक्री उसके वर्तमान व भविष्य के सभी भार, जिनकी जानकारी बैंक को है या नहीं है, के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह के तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
11. यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि बोली लगाने के पूर्व सम्पत्ति के निरीक्षण से संतुष्ट हों। नीलामी हेतु संपत्ति के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक निविदाकर्ताओं को मौके पर प्रत्येक संपत्ति के विवरण के साथ दी जाएगी।
12. आन-लाइन बोली के अंतर के लिए निविदाकर्ता अपनी बोली की राशि हेतु विक्रय नोटिस में उल्लिखित 'बिड वृद्धि राशि के गुणांक में सुधार कर सकता है। अगर बोली, ई-नीलामी के बंद होने के अंतिम 10 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो ई- नीलामी के बन्द होने का समय स्वयं ही 10 मिनट बढ़ जाएगा. ( प्रत्येक समय ई नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा, यह स्वतः ही बंद हो जाएगी। **निविदाकर्ता, जो सबसे ऊंची निविदा (आरक्षित मूल्य से नीचे न हो) प्रस्तुत करता है, तो ऐसे निविदाकर्ता, ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होते समय प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार वांछित सत्यापन के पश्चात सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाता है।**
13. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली को स्वीकार करने के बाद, सफल निविदाकर्ता को विक्रय मूल्य का 25%, पूर्व में जमा ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि) को समायोजित करने के पश्चात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करना होगा। शेष विक्रय मूल्य का 75%, नीलामी तिथि के दिन से 15वें दिन तक या पहले या प्राधिकृत अधिकारी के पूर्णरूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत लिखित रूप सहमति के आधार पर बढ़े हुए समय में नेफ्ट/आरटीजीएस से बैंक के निम्नलिखित खाते में जमा कराना होगा:

खाता संख्या	खाता का नाम	आईएफएससी कोड / शाखा नाम
3541639109	AUTHORISED OFFICER RO JABALPUR	CBIN0280743 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा नेपियर टाउन, जबलपुर

सफल निविदाकर्ता द्वारा यथोक्त निर्धारित समायावधि में विक्रय मूल्य जमा कराने में असफल रहने पर, उनके द्वारा निविदा के सापेक्ष पहले से जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति/यों को पुनः नीलामी की जाएगी। इस तरह चूकने वाले निविदाकर्ता का सम्पत्ति पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

14. वैधानिक/वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क, फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अंतरण प्रभार आदि क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।
15. प्राधिकृत अधिकारी, उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार/स्थगित/रद्द या ई-नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताए समाप्त कर दे।
16. सभी विक्रय प्राप्ति के प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है। खरीदार को स्टाम्प ड्युटी का भुगतान करना होता है जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रभार, सरकार/किसी प्राधिकारी को देय सभी वैधानिक देय रशियाँ, कर, जीएसटी और सम्पत्ति के वर्तमान और आने वाले किराए का भुगतान शामिल है। बोली/ निविदा में शामिल नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जोड़ने/घटाने की अनुमति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल सफल निविदाकर्ता के नाम विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
17. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बोली को स्थगित/रोकने/विक्रय को रद्द करने और बिना किसी पूर्व नोटिस और विक्रय के नियम एवं शर्तों में सुधार करने का पूरा अधिकार है। अगर पूर्व की बोली असफल हो जाती है तो बिना कारण बताए अगले सबसे ऊंचे निविदा कर्ता को निष्पादन के लिए बुलाने का अधिकार है।
18. सम्पत्ति की बिक्री 'जहां है जैसी है, जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है। निविदाये प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता अपनी शंकाओं का समाधान स्वतन्त्र जांच और सम्बंधित रजिस्टर/एसआरओ/आय रिकार्ड/भार के सम्बंध में सत्यापन कर सकते हैं। दूसरे वैधानिक प्राधिकारियों और सम्पत्ति पर दावों/अधिकारों/भार/गृहणाधिकार, देयताएं आदि के लिए कोई भी प्राधिकारी जैसे विक्रय कर, उत्पाद शुल्क/ जीएसटी/ आयकर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त स्वामित्व प्रकृति, विवरण, मात्रा, गुणवत्ता, दशा, भार, गृहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयताएं आदि का सत्यापन निविदा प्रस्तुत करने के पहले कर लेना चाहिए। ई-नीलामी, विज्ञापन नहीं बनाती है और कोई बचनबद्धता निर्मित नहीं करती है और न तो बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्षकार के उपर्युक्त वर्णित दावे/अधिकारों/वैधानिक देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, (अगर कोई है)। आन लाइन नीलामी की प्रस्तुति के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति की प्रकृति, विक्रय प्रभार, भार और अन्य मामलों के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
19. बैंक उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिए उनकी अनुमति प्रक्रिया दिलाने, अनुज्ञापत्र, एनओसी आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है अथवा सम्पत्ति के विक्रय पर देयताओं जैसे पानी, सेवाप्रभार, अंतरण शुल्क, विद्युत बकाया, नगरपालिका/ स्थानीय अधिकारियों/सहकारी आवास सोसाइटी की बकाया देयताएं अथवा अन्य देयताएं, टैक्स, लेवी, शुल्क आदि, यदि सम्पत्ति के विक्रय पर देय हों, तो बैंक कोई जवाबदेही नहीं लेता है। सफल निविदाकर्ता को सम्पत्ति की खरीद पर आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दर से कर का भुगतान प्राधिकारियों को करना है।
20. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ई-नीलामी हेतु उपलब्ध एमाएसटीसी के वेब पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com>, [www.ibapi.in](http://www.ibapi.in) और [www.Centralbankofindia.co.in](http://www.Centralbankofindia.co.in) पर जाएं और ई-नीलामी की विस्तृत शर्तों एवं दशाओं का अध्ययन करें।
21. निविदाकर्ताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि न सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और न सेवा प्रदाता, ई- नीलामी प्रक्रिया में किसी भी चूक/असफलता/इंटरनेट अवरुद्धता/ विधुत व्यवधान आदि की जवाबदेही नहीं लेगा। इस तरह की आकस्मिक स्थिति से दूर रखने के लिए निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे आवश्यक व्यवस्थाएं/ वैकल्पिक उपाय जैसे पावर सप्लाई, बैंक अप की व्यवस्था करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर गतिरोध को दूर रखा जा सके और नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।
22. बिक्री, बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।
23. शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबन्धित शाखा – पाटन (मो. 8226012862), तिलवाराघाट (मो. 8226012880 ), गोकलपुर (मो. 8226012828), विजयनगर (मो. 8226012883), नेपियर टाउन (मो. 8226012858), धोबीघाट (मो. 8226012820), जी सी एफ़ (मो. 8226012825), एम आई सी आई (मो. 8226012763), बिलहरी जबलपुर (मो. 8226012811) से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए श्री अनिल नायक मो. 8226014333 एवं श्री अजीत वर्मा मो. 9820907771, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर, ईमेल- [recvjabaro@centralbank.co.in](mailto:recvjabaro@centralbank.co.in) से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

स्थान : जबलपुर  
दिनांक : 17.01.2023

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

॥ तल, साउथ एवेन्यू मॉल के सामने, पोलिपाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर (म.प्र) 482008

Mob. **8226014333** email - [recyjabaro@centralbank.co.in](mailto:recyjabaro@centralbank.co.in)